वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 22.05.2025

अभियंता ने देखा अवैध निर्माण

वाराणसी। वायरल वीडियो के आधार पर वीडीए की ओर से नगवां के मारुति नगर के अवैध निर्माण का निरीक्षण किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर ने निरीक्षण किया। यहां बने भवन के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है। आख्या के आधार पर दोबारा निर्माण न हो। इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 22.05.2025

पार्कों में सेल्फी पॉइंट बनाएगा वीडीए, 6.65 करोड़ रुपये जारी

वाराणसी। शहर के पार्कों की सुंदरता बढ़ाने के लिए वीडीए की ओर से सेल्फी पॉइंट बनवाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पार्कों में न केवल पौधे लगाए जाएंगे बल्कि यहां आकर्षक माहौल विकसित किया जाएगा।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार 75 पार्कों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसकी 25 करोड़ रुपये लागत है। पहले चरण में 25 पार्कों का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके लिए 6.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके तहत यहां आकर्षक लाइटिंग होगी। यहां के स्थानीय लोगों को सुबह और शाम की सैर के समय बेहतर वातावरण मिलेए इसे ध्यान में रखकर इसकी डिजाइन बनाई जा रही है। इन पार्कों में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो आकर्षक होने के साथ अधिक ऑक्सीजन दें। इनकी देखभाल के लिए माली तैनात होंगे।

पार्क में व्यायाम के लिए ओपन जिम बनेगा। इनकी दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग कराई जाएगी जो काशी की संस्कृति के अनुरूप होगी। इसके लिए बीएचयू और काशी विद्यापीठ के ललित कला संकाय के छात्रों को लगाया जाएगा। ब्यूरो

न्यायाधीश–दि0 22.05.2025

वार्ड-नगवां के अंतर्गत वाविप्रा द्वारा मारूति नगर में किया गया निरीक्षण

वाराणसी ।वार्ड-नगवां के अंतर्गत मारूति नगर में सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर 21.मई को सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सुपरवाईजर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूर्व निर्मित भवन के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही पूर्व में ही की जा चुकी है। अवर अभियन्ता एवं सुपरवाईजर द्वारा घटना के सम्बन्ध में दी गयी आख्या के आधार पर स्थल पर पुनः निर्माण प्रारम्भ न होने पायें, इस हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सुपरवाईजर को सतत् निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया । उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 22.05.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध जोन-1 वार्ड-शिवपुर में की गई सील की कार्यवाही

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 वार्ड-शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत विवेक पाण्डेय द्वारा मौजा-भेलखा , जयपुरिया के उत्तर, वार्ड - शिवपुर, थाना-बड़ागाव, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 40ˆ 60 वर्गफीट के क्षेत्रफल में (उ₹1) तल के ऊपर निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य को आज दिनांक 21 -05-2025 को भवन को सील कर सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।